



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अप्रैल, 2021

चैत्र 16, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 335/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(176)-2021
लखनऊ, 6 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

प0आ0-117

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और अधिसूचना सं० 436/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, का अधिक्रमण करके एतद्वारा अधिसूचित करती हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो,-

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विभाग या अधिष्ठान; या

(ग) स्थानीय प्राधिकरण; या

(घ) सांविधिक निकाय; या

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; या

(च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति।

2-यह अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 335 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(176)-2021, dated April 6, 2021 :

No. 335 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(176)-2021

Dated Lucknow, April 6, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification no. 436/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(110)-2020, dated 11th May, 2020, except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,—

- (a) not a citizen of India; or
- (b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or
- (c) a local authority; or
- (d) a statutory body; or
- (e) a Public Sector Undertaking; or
- (f) a person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of section 25 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 23rd day of February, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 39 राजपत्र-2021-(78)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० राज्य कर-2021-(79)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।